न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 04/2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
थानाधिकारी, पुलिस थाना सेडवा
जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. पन्नालाल पुत्र जीयाराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष निवासी बामरला डेर भवांर पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर
2. मगनाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी बाधा पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर
3. देराजराम पुत्र ताजाराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष पेशा ठेकेदारी निवासी सायागों की ढाणिया बाधा पुलिस थाना सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अप्राथी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 01.11.2021 को श्रीमान नारायणसिंह आरपीएस वृत्त चौहटन ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की कि आज दिनांक 01.11.2021 को मन सीओ नारायणसिंह आपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त चौहटन मय हैडकानि मोहनलाल 165 जरिये सरकारी गाड़ी आरजे 04 यूए 5544 चालक उदाराम 1347 के वृत्त कार्यालय चौहटन से रवाना होकर मुख्य सड़क पर सरहद बाधा पहुंचने पर सरकारी वाहन के आगे–आगे एक वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे 04 जीसी 0341 जिसके पीछे एक टंकी लगी हुई थी, जाती दिखाई दी। बोलेरो पिकअप को रूकवाकर जांच करने पर पिकअप वाहन में दो व्यक्ति बैठे पाये गये। नाम पूछने

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पर ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पन्नालाल पुत्र जीयाराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष पेशा ड्राईवरिंग निवासी बामरला डेर भवांर एवं पास की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मगनाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी बाधा होना बताया। पिकअप वाहन के पीछे लगी हुई टंकी के बारे में पूछने पर बायोडीजल भरा हुआ होना व सड़क पर वाहनों का बेचान करना बताया गया। वाहन के पीछे लगाई गई उक्त टंकी के साईड में राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त व पीछे (MTC) महादेव ट्रेडिंग कम्पनी बाखासर रोड सेड़वा लिखा हुआ पाया गया। टंकी के पीछे डीजलनुमा पदार्थ बेचने के लिये नोजल व मीटर (डिस्पेंसर) लगा हुआ पाया गया। उक्त टंकी में भरे डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ के वैध लाईसेंस व परमिट एवं खरीद बिल का पूछने पर अपने पास नहीं होना बताया गया। ग्राम पंचायत पर काम कर रहे लोगों को मौतबीर रहने बाबत कहा गया तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस पर हमरा हैडकानि मोहनलाल व कानि चालक उदाराम को उनकी सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह मामुर किया। उक्त गवाहों ने दस्तयाब टंकी में लगाये चिह्नों के आधार पर करीबन 1800 लीटर डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। जब्तशुदा टंकी में भरे डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ में से तीन कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया। आरोपी पन्नालाल के पास डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री की राशि कुल 1,39,750 रूपये वास्ते वजह सबूत एक कागज के लिफाफे में डालकर सील चेपा किये गये। आरोपी मगनाराम के पास डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री की राशि कुल 29,180 रूपये वास्ते वजह सबूत एक अन्य कागज के लिफाफे में डालकर सील चेपा किये गये। उक्तानुसार सीओ चौहटन की रिपोर्ट पर एफआईआर संख्या 0167 दिनांक 01.11.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ, टंकी, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण, एफएसएल कागजात, पूछताछ मुलजिम, मुलजिम द्वारा प्रदत्त धारा 27 की इत्तला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम पन्नालाल पुत्र जीयाराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष पेशा ड्राईवरिंग निवासी बामरला डेर भवांर एवं मगनाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी बाधा द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आरजे 04 जीसी 0341 मय 1800 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत लिखित जवाब में निवेदन किया कि जब्तशुदा डीजल अप्रार्थी द्वारा स्वयं के खातेदारी खेत पर बने बेरे पर लगे जनरेटर में उपयोग हेतु एवं फसलों में छिडकाव में उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। उसके द्वारा बायोडीजल के बेचान का कार्य नहीं किया जा रहा था। उसके पास से सीजशुदा 1,39,750/- रूपये एवं मगनाराम के पास से सीजशुदा 29,180/- रूपये उसके ट्रेक्टर के टायर एवं फव्वारे लाने के बाबत थे न कि बायोडीजल के विक्रय की राशि थी। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा समस्त तथ्य गलत अंकित किये गये हैं तथा अप्रार्थी द्वारा किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम मुलजिम पन्नालाल पुत्र जीयाराम जाति जाट उम्र 29 वर्ष पेशा ड्राईवरिंग निवासी बामरला डेर भवांर एवं मगनाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी बाधा द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता अपने लिखित जवाब में हस्तगत प्रकरण में एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंकित तथ्यों को नकारते हुए जब्तशुदा बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग अपने स्वयं के खेत में जनरेटर में प्रयुक्त किये जाना अंकित किया है। अप्रार्थीगण द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उनके कब्जे से जब्तशुदा आवश्यक वस्तु के क्रय बिल–बिल्टी के साथ ही परिवहन, संग्रहण एवं बेचान के प्रतिरक्षण स्वरूप उनके द्वारा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मौके पर अप्रार्थीगण बायोडीजल अनाधिकृत रूप से वाहनो को विक्रय करते हुए पाये गये हैं, ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा लगभग 1800 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा लगभग 1800 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। पुलिस अधीक्षक बाड़मेर उक्त राजसात किये गये सीजशुदा 1800 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। प्रकरण में वाहन सं. पिकअप नम्बर आरजे 04 जीसी 0341 के स्वामी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत सुपर्दगीनामा निरस्त किया जाता हैं तथा वाहन को जब्ती से मुक्त किया जाता हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर